



बिहार विधान सभा

कार्य सूची

बोडश विधान सभा

चतुर्दश सत्र

मंगलवार, तिथि 26 नवम्बर, 2019 ई०
05 अग्रहायण, 1941 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

प्रश्नोत्तर

1. अल्प-सूचित एवं ताराकित प्रश्न तथा उनके उत्तर। ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य
2. सर्वश्री समीर कुमार महासेठ, फैयाज अहमद एवं अन्य छः सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग] की ओर से वक्तव्य।
3. सर्वश्री जिवेश कुमार, सचीन्द्र प्रसाद सिंह एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [शिक्षा विभाग] की ओर से वक्तव्य।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

4. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन "वित्त लेखे (खंड 1 एवं 2)" तथा "विनियोग लेखे" जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।
5. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन "वित्त लेखे (खंड 1 एवं 2)" तथा "विनियोग लेखे" को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में विक्री के लिए प्राप्य हो।"
6. पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (A)(2) के तहत बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।
7. खान एवं भूतत्व विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा-28(3) के तहत "बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।
8. बिहार विधान सभा के समितियों के प्रतिवेदनों का (यदि हो) सभा के समक्ष रखा जाना।
9. याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

मध्याह्न-विराम (1.00 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न)

विधायी कार्य
राजकीय विधेयक

"बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019"

10. बाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

11. बाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।

12. बाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019" पर विचार हो ।

13. बाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019" स्वीकृत हो ।

"बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2019"

14. बाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2019" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

15. बाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।

16. बाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2019" पर विचार हो ।

17. बाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2019" स्वीकृत हो ।

18. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो) ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०- 10/2019- 3038 /विंस०, पटना, दिनांक- 25 नवम्बर, 2019 ई० ।

प्रतिलिपि :- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मर्गिंगण / मुख्य सचिव, बिहार/ राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार/ कार्यालयी सचिव, बिहार विधान परिषद् / संसदीय कार्य विभाग/ विधि (विधान) विभाग / निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग / महाधिवक्ता बिहार, पटना उच्च न्यायालय / लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली / सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2005/11/19
(राजीव कुमार)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०- 10/2019- 3038 /विंस०, पटना, दिनांक- 25 नवम्बर, 2019 ई० ।

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप सचिव / प्रधान आप सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

2005/11/19
(राजीव कुमार)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०- 10/2019- 3038 /विंस०, पटना, दिनांक- 25 नवम्बर, 2019 ई० ।

प्रतिलिपि :- बिहार विधान सभा के उप सचिवगण एवं अवर सचिवगण / अवर सचिव, श्रव्य एवं दृश्य इकाई, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित ।

2005/11/19
(राजीव कुमार)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

अधिकारी
25/11/19